बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संकल्प

विषयः– जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग को जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के बीच विभक्त कर विभागवार संवर्ग गठन के संबंध में।

1. राज्य प्रशासनिक सुधार के प्रथम प्रतिवेदन में प्रखण्ड स्तरीय विकास योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण कार्य विभाग) के माध्यम से कराए जाने तथा उक्त संगठन की आन्तरिक संरचना कमजोर होने, मौलिक संवर्ग नहीं रहने के कारण प्रभावकारी ढंग से कार्य नहीं करने आदि के आलोक में ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण कार्य विभाग) के लिए अभियंताओं का अलग–अलग स्थाई संवर्ग सृजित करने की अनुशंसा की गई थी। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण संगठन (ग्रामीण कार्य विभाग) के अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अभियंताओं का अलग–अलग संवर्ग गठित करने का निर्णय लिए जाने की सूचना देते हुए तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई का निदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक 2263 दिनांक 01–03–2007 द्वारा दिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग के वर्तमान अभियंत्रण संवर्ग को जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के बीच विभक्त कर विभागवार सम्वर्ग गठन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा। इस संर्वग विभाजन हेतु निम्न मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता हैः–

2.1. (क) जल संसाधन विभाग संवर्ग के अभियंताओं को उनके वर्तमान में कार्यरत विभाग के आधार पर यथा–स्थिति के सिद्धान्त को अपनाते हुए संवर्ग विभाजन किया जाता है। दिनांक 04.12.13 को जो अभियंता जिस विभाग (जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग) में कार्यरत रहें है, वे उसी विभाग के संवर्ग के सदस्य माने जाएँगे।

दिनांक 04.12.13 के पूर्व जो भी स्थानान्तरण आदेश विभागों द्वारा निर्गत किया गया है, उनसे संबंधित अभियंता (भले ही वे पुराने पदस्थापन स्थान/विभाग से विरमित नहीं हुए हों) नये पदस्थापन स्थान/विभाग में कार्यरत माने जाएँगे, अर्थात,संवर्ग विभाजन में उनको नया पदस्थापित स्थान से संबंधित विभाग आवंटित माना जाएगा, जिसके लिए स्थानान्तरण आदेश निर्गत किया गया है।

2.1. (ख) जल संसाधन विभाग के संयुक्त संवर्ग से नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, योजना एवं विकास विभाग के साथ–साथ कतिपय निगमों/प्राधिकार में अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की जाती है। वैसे प्रतिनियुक्त अभियंता जल संसाधन विभाग के विभक्त संवर्ग में समाहित माने जाएँगे।

2.1. (ग) संवर्ग विभाजन के पश्चात किसी अभियंता को यदि आपत्ति हो तो वे अभ्यावेदन दे सकेंगे। इसके लिए अधिकतम 60 (साठ) दिनों की अवधि निर्धारित होगी।

2.1. (घ) उपरोक्त कण्डिका (ग) के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों के निष्पादन हेतु निम्नांकित मार्ग–दर्शक सिद्धान्त निरुपित किया जाता है :–

(i) सामानुपातिक वितरण :– जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं का वितरण जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग के बीच इन विभागों के स्वीकृत पद–बल के अनुपात में यथा–सम्भव किया जाएगा।

(ii) कोटि विशेष में वरीयता – चूँकि जल संसाधन विभाग के अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं को उपर्युक्त विभागों के बीच विभागों के स्वीकृत बल के आलोक में यथा–सम्भव सामान्य एवं आरक्षण कोटि को दृष्टिगत रखते हुए विभक्त किया जाएगा , इसलिए यथा–स्थिति के आधार पर मौलिक विभाजन में परिवर्तन हेतु जो अभ्यावेदन प्राप्त होंगे, उनके स्वीकृत/अस्वीकृति के बिन्दु पर निर्णय लेने का प्रथम आधार अभ्यावेदक के कोटि विशेष में वरीयता होगी।

(iii) विभाग विशेष में कार्य अनुभव :– यदि अभ्यावेदक अपने सेवा काल में आधे से अधिक अवधि में किसी विभाग विशेष के अधीन सेवारत रहा हो और वह उसी विभाग में रहना चाहता हो तो उसके दावे को वरीयतानुसार यथा–सम्भव मान्यता दी जा सकेगी।

(iv) सेवा–निवृत्ति में 12 माह अथवा कम शेष रहनाः– परिस्थितिवश ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

(v) विशिष्ट योग्यता :– यदि अभ्यावेदक किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा डॉक्टरेट आदि उच्चतर उपाधि धारित करता है तो उस क्षेत्र से प्रमुख रुप से सम्बन्धित विभाग में उसकी सेवा आवंटन हेतु दिया गया अभ्यावेदन विचारणीय होगा।

2.2 संवर्ग विभाजन के संदर्भ में आपत्ति अभ्यावेदन संकल्प निर्गत की तिथि से 60 (साठ) दिनों तक दी जा सकेगी।

2.3 जो पदाधिकारी आवंटन में परिवर्तन चाहेंगें वे उस आशय का आपत्ति अभ्यावेदन दे सकेंगे। प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों पर विचार कर निस्तारण हेतु निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है :–

(i) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग।	अध्यक्ष
(ii) सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।	सदस्य
(iii) सचिव, लघु जल संसाधन विभाग।	सदस्य
(iv) परियोजना संयोजक, लघु जल संसाधन विभाग।	सदस्य
(v) अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।	सदस्य
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(vii) अभियंता प्रमुख (मध्य), जल संसाधन विभाग।	सदस्य–सचिव

3. उपर्युक्त कंडिका–4 में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तार किया जायेगा एवं तदनुरूप उपरोक्त कंडिक–4 में वर्णित रूपरेखा के अनुरूप जल संसांधन विभाग के अभियंत्रण सर्वग के विभाजन को अंतिम रूप दिया जायेगा।

4. संविदा पर नियुक्त अभियंता यथा–स्थिति जिस विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, वहॉ कार्यरत रहेगें। संविदा पर नियुक्त अभियंताओं के मामले में अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा अर्थात, इनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के एक विशेषांक में प्रकाशित कराया जाए तथा प्रतिलिपि सभी विभागों/ विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार बिहार ,वीरचन्द पटेल पथ ,पटना को अग्रसारित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
23/01/14
(सुशील कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक संचिका सं0–5/विविध 30–10/2013– 160 /पटना, दिनांक 23-1-14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
23/01/14

(सुशील कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव,(प्रबंधन)

ज्ञापांक संचिका सं0– 5/विविध 30–10/2013– 160 – 23-1-14 पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव,ई गजट कोषांग, वित्त विभाग , बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
23/01/14

(सुशील कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव,(प्रबंधन)

ज्ञापांक ज्ञापांक संचिका सं0– 5 / विविध 30–10 / 2013– 160 /पटना, दिनांक 23-1-14

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्य मंत्री बिहार के प्रधान सचिव /मुख्य सचिव ,बिहार के आप्त सचिव /माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग,पटना/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग,के आप्त सचिव /प्रधान सचिव,जल संसाधन विभाग,बिहार,पटना/ प्रधान सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग,बिहार पटना/सचिव,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार, पटना/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग,बिहार, पटना / परियोजना संयोजक,लघु जल संसाधन विभाग, बिहार,पटना/ अभियंता प्रमुख,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, (मध्य/उत्तर) जल संसाधन विभाग,बिहार पटना/ विशेष सचिव,/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग,(प्रबंधन कोषांग सहित) पटना/ प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग , जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/(वेबसाइट पर डालने हेतु)/ प्रभारी, एम0आई0 एस0 कोषांग, जल संसाधन विभाग, प्रशाखा पदाधिकारी 5, 6, 7, 8,एवं 9 जल संसाधन विभाग,बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को निदेश दिया जाता है की इस संकल्प की प्रति अपने स्तर से अपने परिक्षेत्राधिन पदस्थापित पदाधिकारियों को उपलब्ध करायें। 23/01/14

(सुशील कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव,(प्रबंधन)